F ω. ५

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An Autonomous Institution Under Deptt. Of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

फा-4-4/2018/एनआईओएस/मूल्यांकन/क्षे.कें./1047 दिनांक : 28.03.2018

अधिसूचना - 07/2018

विषय : एनआईओएस की अप्रैल-मई, 2018 में आयोजित होने वाली माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को खोलने के संबंध में

एनआईओएस की माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक, अप्रैल-मई, 2018 की परीक्षा 04 अप्रैल, 2018 से आरंभ होगी और 26 अप्रैल, 2018 तक चलेगी। परीक्षा का सुचारू तथा निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय निदेशकों तथा परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों को अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

1. क्षेत्रीय केंद्रों तथा परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों को प्रश्न पत्रों को खोलने संबंधी अनुदेश/दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। एक बार पदस्थ अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक से प्रश्न पत्र प्राप्त करने पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्न पत्रों को ताला लगाकर रखा जाए। **प्रश्न पत्र केवल 2:15 अपराह्न को खोले जाएं, उससे पहले नहीं**। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे अधिकारी जो प्रश्न पत्रों को खोलने की प्रक्रिया में लगे हैं उनके पास **मोबाइल फोन** अथवा कोई **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण** न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्न पत्र कैंद्र अधीक्षक, एनआईओएस द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक/विशेष पर्यवेक्षकों तथा दो निरीक्षकों की उपस्थिति में खोले जाएं तथा विधिवत हस्ताक्षर कराए जाएं। शिक्षार्थियों को बांटे गए प्रश्न पत्रों का पूरा विवरण तथा बचे हुए प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जाने चाहिए।
2. प्रवेश द्वार पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षार्थी परीक्षा कक्ष/हॉल के परिसर में प्रवेश के समय कोई भी मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न ले जाए। महिला निरीक्षकों को महिला शिक्षार्थियों की जांच दिशा-निर्देशानुसार करनी चाहिए।
3. परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात सभी निरीक्षक सुनिश्चित करें कि परीक्षा का सुचारु तथा निष्पक्ष आयोजन किया जाए और परीक्षा आयोजन के दौरान हुई किसी भी अनुचित घटना की सूचना कैंद्र अधीक्षक को दी जाए **तथा परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष/हॉल में मोबाइल फोन न ले जाएं**।
4. यहां यह उल्लिखित है कि सभी उप आयुक्तों/कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केंद्र के बाहर कार्मिक तैनात करने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि परीक्षा के दौरान कोई अनुचित घटना न घटे।
5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाओं के सुचारू आयोजन के लिए एनआईओएस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का लिखित तथा व्यवहार में पालन किया गया है।

6. क्षेत्रीय निदेशकों को बैंक जाने तथा प्रश्न पत्रों को खोलने और प्रश्न पत्रों के लिफाफों पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के लिए एक विशेष पर्यवेक्षक को नियुक्त करना आवश्यक है। वह परीक्षाओं के आयोजन की मॉनीटरिंग भी करेंगे।
7. क्षेत्रीय निदेशकों को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा केंद्रों के सभी केंद्र अधीक्षकों को उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने के लिए ई-मेल के माध्यम से भी सूचित करें।

(सी.धारुमन)
निदेशक (मूल्यांकन)

वितरण

(1) सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस
(2) एनआईओएस के सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक
(3) सभी विभागाध्यक्ष, एनआईओएस
(4) अध्यक्ष, एनआईओएस के सूचनार्थ सहायक निदेशक (अध्यक्ष कार्यालय)
(5) एसए/पी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एनआईओएस वेबसाइट पर अपलोड करें।
(6) उप निदेश्का (मूल्यांकन/गुप्त), एनआईओएस
(7) सहायक निदेशक (परिणाम प्रकोष्ठ/गोपनीय), एनआईओएस
(8) गार्ड फाइल